फा.सं.14011 / 4 / 2017–एचआरडी
भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटि)

विषयः प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीईएसएचए) ।

1.0 योजना का नाम : प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीईएसएचए) ।

2.0 **डिजिटल साक्षरता की परिभाषा :** ''डिजिटल साक्षरता व्यक्तियों और समुदायों की डिजिटल प्रौद्योगिकियों को जीवन की परिस्थितियों में सार्थक कार्यों को समझने और उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं ।''

3.0 **उद्देश्यः**

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्यों /संघ शासित प्रदेशों के, ग्रामीण क्षेत्रों में छः करोड़ लोगों को बनाना है, डिजिटल साक्षर, प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य कवर करने के द्वारा लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना है ।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कम्प्यूटर चलाने या डिजिटल एक्सेस डिवाइसें (जैसे टैबलेट, स्मार्ट फोन आदि), ई–मेल भेजना और प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राउज़ करना, सरकारी सेवाओं का उपयोग करना, सूचना के लिए खोज करना, डिजिटल भुगतान शुरू करना , आदि और इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों विशेषकर डिजिटल भुगतान राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है । इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को जोड़ने के लिए है, विशेषकर ग्रामीण आबादी लक्ष्य करते हुए, जिसमें अनुसूचित जाति (अजा) /अनुसूचित जनजाति (एसटी), गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), महिलाएं, निःशक्तजनों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के हाशिए वाले वर्ग शामिल हैं।

4.0 **क्रियान्वयन एजेन्सीः**

यह योजना सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित है (यहां पर 'सीएससी–एसपीवी' के रूप में संदर्भित किया गया है), ईलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संपूर्ण निगरानी में, सभी राज्य सरकारों और निहित प्रशासनों के सहयोग के साथ लागू होगी ।

5.0 **अवधिः**

इस योजना की अवधि 31 मार्च,2019 तक है।

6.0 लक्षित हितग्राहीः

- **योग्य परिवार :** एक परिवार को एक ईकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं परिवार के प्रमुख, पति या पत्नी, बच्चे और माता–पिता । ऐसे सभी घरों में जहां परिवार का कोई भी सदस्य डिजिटल साक्षर नहीं है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पात्र घर माना जाएगा ।
- **प्रवेश मानदंड**
  1) हितग्राही डिजिटल साक्षर होना चाहिए ।
  2) प्रत्येक घर से केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशिक्षण के लिए विचार किया जाएगा ।
  3) आयु वर्ग : 14 – 60 वर्ष ।
- को प्राथमिकता दी जाएगी :
  - गैर–स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, अंत्योदय घर, कॉलेज ड्रॉप–आउट, प्रौढ़ साक्षरता मिशन के प्रतिभागी ।
  - कक्षा 9वीं से 12वीं के डिजिटल निरक्षर विद्यार्थियों के लिए जिनके स्कूलों में प्रदान की जाने वाली कंप्यूटर / आईसीटी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
- अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (एसटी), गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल), महिलाएं, निःशक्तजनों और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- हितग्राहियों की पहचान सीएससी–एसपीवी द्वारा डीईजीएस, ग्राम पंचायतों, और ब्लॉक विकास अधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग से पूरी की जाएगी । इस तरह के हितग्राहियों की सूची योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

7.0 पृष्ठभूमिः

सरकार ने भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था मेंरूपांतरित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परिकल्पना के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है । कार्यक्रम में नागरिकों को विभिन्न ई–गवर्नेंस पहलों से जोड़ने को विचार शामिल है, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत बनाने और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के लिए निर्णय लेना शामिल है । डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की पूरी संभावना का एहसास हो सकता है, यदि प्रत्येक नागरिक को, स्थान और सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना डिजिटल सेवाओं / प्रौद्योगिकियों के अवसरों के साथ उस तक पहुंचने की क्षमता और उसका लाभ प्रदान किया जाए । ग्रामीण भारत सहित देश भर में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता इन पहलों की सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व है ।

सरकार ने दो योजनाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया है, जिनके नाम हैं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) और डिजिटल साक्षरता अभियान

(डीआईएसएचए) जो सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (सीएससी–एसपीवी) (कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी) के द्वारा एक साथ लागू किया गया । इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 52.5 लाख विधिवत प्रमाणित लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का संचयी लक्ष्य दिसंबर 2016 में दिसम्बर 2018 की प्रस्तावित समय सीमा से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया गया था ।

माननीय वित्त मंत्री ने 2016–17 के केंद्रीय बजट पेश करते हुए अन्य विषयों की घोषणा की है:

''हमारे जनसांख्यिकीय लाभ से हमें अधिक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है । हमें ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने की आवश्यकता है । 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ घरों में कम्प्यूटर नहीं है और डिजिटल साक्षरता वाले लागों की संभावना नहीं है । हमने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, पहले से ही दो योजनाओं को मंजूरी दी है : राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान । अब हम अगले तीन वर्षों के अंदर ग्रामीण भारत के लगभग 6 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को कवर करने के लिए एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं । इस योजना का विवरण अलग–अलग होगा ।''

वर्तमान योजना को माननीय वित्त मंत्री की उपर्युक्त बजटीय घोषणा के लिए आगे की कार्यवाही के रूप में तैयार किया गया है ।

डिजिटल साक्षरता 'डिजिटल इंडिया पहल'' के अंतर्गत कल्पना किए गए एक सशक्त समाज के निर्माण के रूप में सरकार के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण घटक है । डिजिटल साक्षरता के विशेष रूप से ग्रामीण भारत के संदर्भ में अनपेक्षित लाभ का प्रभाव कई सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को संबोधित करेगा । 'डिजिटल साक्षरता' आईसीटी के लाभों को ग्रामीण जनसंख्या के दैनिक जीवन के विशेषरूप से स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका पीढ़ी और शिक्षा के क्षेत्रों में लाएगा ।

इसके अलावा, चूंकि सरकार को जोर मोबाइल फोन के माध्यम से नकद रहित लेन'देन को बढ़ावा देने पर है, पाठ्यक्रम सामग्री में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए डिजिटल वित्तीय उपकरण के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा ।

8.0 योजना का कवरेजः

यह योजना देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है । देश में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, औसत घरेलू परिवारों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए सांकेतिक अनुपात आधारित लक्ष्य, परिशिष्ट –1 पर विवरण के अनुसार हैं । राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश में उल्लिखत लक्ष्य केवल संकेत मात्र हैं और राज्यों /संघ शासित प्रदेशों के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर उच्च लक्ष्य के लिए लचीलापन होगा । पंचायत जो शहरी समुदायों का हिस्सा हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा । ऐसी पंचायतें उद्योगों /संगठनों की सीएसआर गतिविधियों द्वारा शामिल की जानी चाहिए।

पूरे देश में न्यायसंगत भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित और निगरानी रखने वाले लक्ष्यों के साथ एक ग्राम पंचायत केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा । औसतन हर ग्राम पंचायत के अनुसार 200–300 लाभार्थियों का लक्ष्य माना जाता है । वास्तविक लक्ष्य जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला ई–गवर्नेंस सोसाइटी (डीजीएस) द्वारा तय किया जाएगा, जिले का आकार, आबादी, स्थानीय आवश्यकताओं, आदि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल गावों को पूरी डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

9.0 व्यापक क्रियान्वयन ढांचाः

एमईआईटीवाई उपयुक्त नीति सहायता प्रदान करेगा और केंद्रीय स्तर पर इस योजना की प्रगति की निगरानी करेगा । सीएससी–एसपीवी अपने संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों में इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार /प्रशासनिक उपक्रम के साथ सक्रिय सहयोग में काम करेगा । जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर के अंतर्गत जिला ई–गवर्नेंस सोसाइटी (डीईजीएस) पीएमजीडीआईएसएचए योजना के अंतिम मील के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । सतही स्तर पर योजना का क्रियान्वयन सीएससी–एसपीवी के साथ संबंद्ध सीएससी सहित प्रशिक्षण भागीदारों / केन्द्रों के सहयोग के माध्यम से किया जाएगा । क्रियान्वयन के ढांचे की मुख्य विशेषताएं अगले भाग में प्रस्तुत की जा रही हैं ।

9.1 इस योजना को संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों/प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग करके लागू किया जाएगा जैसा एनडीएलएम/डीआईएसएचए योजनाओं में किया गया था । पूरे देश में फैले लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षण केन्द्रों (सीएससी सहित) और लगभग 2500 प्रशिक्षण भागीदारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । तद्दुसार, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण का भौतिक वितरण विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों/केन्द्रों द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार उचित रूप से

सीएससी–एसपीवी से विधिवत् संबद्ध होगा । इनमें सीएससीज़, एनआईआईएलआईटी केन्द्र / मान्यता प्राप्त केन्द्र, प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र / एमएचआरडी के अंतर्गत स्कूल द्वारा लागू आईसीटी/स्कूल्स योजना, इग्नू केन्द्रों, आई टी साक्षरता में शामिल एनजीओ, ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग भागीदार, सीएसआर प्रावधानों वाली कंपनियां ।

9.2 प्रशिक्षण भागीदार/प्रशिक्षण केन्द्र को एक विशिष्ट क्षेत्र के ऑपरेशन के साथ सौंपा जाएगा और वरीयतः एक ही राज्य के भीतर लक्ष्य होगा । प्रशिक्षण भागीदारों / प्रशिक्षण केन्द्रों को सीएससी–एसपीवी द्वारा निरर्धारित मान्यता नियमों के अनुसार प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की आवश्यता होगी ।

9.3 प्रशिक्षण भागीदारः

इस योजना में एनजीओ / संस्थाओं / निगमों जैसी हस्तियों को संबद्ध करने का विचार है, जो सीएससी–एसपीवी के साथ प्रशिक्षण भागीदारों को मीटिंग के रूप में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है । सांकेतिक मानदंड निम्नानुसार हैं :–

- एक प्रशिक्षित भागीदार भारत में पंजीकृत एक संगठन होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार का संचालन/ आईटी साक्षरता तीन वर्षों से अधिक और स्थायी आयकार खाता संख्या (पैन) और तीन वर्षों के लेखे का ऑडिटेड स्टेटमेंट होना चाहिए ।
- संस्थान/संगठन को भारत के किसी भी अधिनियम के कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना चाहिए, सोसायटी के मामले में यह रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में पंजीकृत होना चाहिए और इसी तरह और इसके आगे ।
- भागीदार को उद्दश्यों, अच्छी तरह से दस्तावेजी प्रक्रियाओं और शिक्षा / आईटी साक्षरता प्रशिक्षण की पूरी सीमा को कवर करनेवाली प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

9.3.1 प्रशिक्षण भागीदार की भूमिकाः

- एक प्रशिक्षण भागीदार चिह्नित जिलों / ब्लॉक / ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने या खुद का खोलने के लिए जिम्मेदार होगा, जो उम्मीदवारों को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदानर करेगा ।
- एक प्रशिक्षण भागीदार कि प्रशिक्षण केन्द्र योजना की आवश्यकताओं का पालन करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- एक प्रशिक्षण भागीदार उसके दायरे के अंतर्गत केन्द्र के संपूर्ण कार्य की निगरानी करने के लिए जवाबदेह होगा ।

- एक प्रशिक्षण भागीदार अपने केन्द्रों के संबंध में उल्लिखित उपर्युक्त कार्य के सटीक और समय पर रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा ।
- प्रशिक्षण भागीदारों के लिए विस्तृत सीएससी–एसपीवी द्वारा प्रकाशित मानदण्ड मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होगा ।

9.4 प्रशिक्षण केन्द्रः

प्रशिक्षण भागीदार चयनित ग्राम पंचायतों में उचित जनशक्ति और अपेक्षित और बुनियादी ढांचे के साथ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेंगे । उन्हें निम्न मानदण्डों को पूरा करने की आवश्यकता है :

- एक प्रशिक्षण केन्द्र भारत में शिक्षा/आईटी साक्षरता के क्षेत्र में सिद्ध प्रशिक्षण और सुगमता प्रमाण के साथ एक पंजीकृत संगठन का हिस्सा होना चाहिए ।
- प्रशिक्षण भागीदार के द्वारा सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद, सीएससी–एसपीवी द्वारा गठित एक जांच कमेटी प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा करेगी और जांच कमेटी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मान्यता प्रदान की जाएगी ।
- प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए विस्तृत सीएससी–एसपीवी द्वारा प्रकाशित मानदण्ड मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होगा ।

सीएससी–एसपीवी के साथ काम करने वाले सभी सीएससी को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में माना जाएगा और यही मानदण्ड और दिशानिर्देशों को प्रशिक्षण केन्द्र के मामले में भी सीएससी पर लागू किया जाएगा ।

9.4.1 प्रशिक्षण केन्द्रों की भूमिकाः प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे :

- पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करना ।
- उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण देना ।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन–कम–लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके उपस्थिति को चिह्नित करना और लगातार मूल्यांकन करना ।
- पाठ्यक्रम में सभी नामांकित उम्मीदवारों का रिकॉर्ड रखते हुए, उनकी उपस्थिति को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं।
- प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कम से कम दो वर्ष तक सहायता और सहयोग प्रदान करेगा ।
- प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अध्ययन के परिणामों की उपलब्धि सुनिश्चित करना ।

9.5 मोबाइल फोन के माध्यम से सामग्री की सुपुर्दगी एक पूरक सुविधा के रूप में प्रस्तावित की जाती है, जहां वास्तविक प्रशिक्षण मोड के दौरान सीखी गयी सामग्री को ताजा करने के लिए बड़ी संख्या में नियो–आईटी साक्षरों के द्वारा पहुंचा जा सकता है ।

9.6 आधार नंबर प्रत्येक हितग्राही को अलग से पहचानने और दोहरेपन से बचने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

9.7 पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भागीदारों / केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्टिंग / निगराने के लिए सीएससी–एसपीवी द्वारा उपयुक्त ऑन लाइन रिपोर्टिंग तंत्र स्थान पर रखा जाएगा ।

9.8 प्रशिक्षण भागीदार / केन्द्र चयनित हितग्राहियों को उनके प्रशिक्षण केन्द्र में प्रोत्साहित करेंगे और जुटाएंगे और इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि उनका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण हो ।

9.9 प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के बाद, प्रशिक्षण भागीदार / केन्द्र समय–समय पर, सीएससी–एसपीवी को प्रशिक्षित व्यक्तियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

9.10 प्रशिक्षित हितग्राहियों को एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा एक ऑनलाइन परीक्षा (जैसे ही प्रशिक्षण पूरा होगा) में शामिल होना होगा । सीएससी–एसपीवी द्वारा प्रशिक्षण की लागत प्रशिक्षण एजेंसियों को निर्धारित परिणाम मापदण्डों को पूरा करने की दशा में उम्मीदवारों के सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद ही जारी की जाएगी ।

9.11 प्रशिक्षित हितग्राहियों का प्रमाणीकरण राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एजेंसियों द्वारा संचालित दूरस्थ आफनलाइन निरीक्षक परीक्षा के माध्यम से पूरा किया जाएगा जिनके नाम हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस), आईसीटी एकेडेमी ऑफ तमिलनाडु (आईसीटीएसीटी), हरियाणा नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) । इसी के और भी एजेंसियां ऑनलाइन मूल्यांकन संचालित करने में समान अनुभवी हैं उन्हें भी निर्धारित मानदण्डों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा । आसान प्रमाणन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रमाणित एजेंसी बनाने के प्रयास किए जाएंगे ।

9.12 उद्योग, एनजीओ और अन्य द्वारा किए गए कई अन्य आईटी साक्षरता प्रयासों का एकीकरणः

उद्योग, एनजीओ और अन्य द्वारा देश में डिजिटल साक्षरता के प्रसार में इसी तरह के प्रयासों को इस योजना के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा और सीएसी–एसपीवी द्वारा इस संबंध में आवश्यक समन्वय किया जाएगा । इस संबंध में सीएससी–एसपीवी समन्वय और विभिन्न सहयोगियों के आवश्यक एक ओर झुकाव को बाहर ले जाएगा । जो उम्मीदवार ऐसे भागीदारों, उद्योग, एनजीओ इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित हुए हैं, उन पर मान्यताप्राप्त प्रमाणन एजेंसियों द्वारा डिजिटल

साक्षरता प्रमाण–पत्रों देने के लिए विचार किया जाएगा । ऐसे उम्मीदवारों के लिए, इन एजेंसियों द्वारा अपने संसाधनों / कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फण्ड्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा । इस तरह की पहल के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रमाणित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रमाणन परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्रता होगी और प्रमाणन शुल्क भी इन संबंधित एजेंसियों द्वारा वहन किया जाएगा ।

9.13 विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्वः

9.13.1 मेटि (एमईआईटीवाई):

1. सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत **सशक्त समिति** का गठन किया गया, योजना में किसी भी नीति स्तर के हस्तक्षेपों के संबंध में फैसला लेने के लिए मेटि है ।
2. योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन और फण्ड जारी करने की सिफारिश को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की समीक्षा और संचालन समूह (पीआरएसजी) जेएस (एचआर), मेटि की अध्यक्षता वाली मेटि का गठन किया गया ।
3. पीआरएसजी की सिफारिश पर क्रियान्वयन एजेंसी को आवश्यक धन उपलब्ध कराना और/या एमईआईटीवाई द्वारा मूल्यांकन जैसा कि एमईआईटीवाई द्वारा अनुमोदित किया गया है।
4. इस योजना की प्रगति से संबंधित मुद्दों को जल्दी करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें, संबंधित सरकार के विभागों /संगठनों / संस्थानों और अन्य संबंधित एजेंसियों साथ समन्वय करना ।
5. योजना से जुड़े अन्य मुद्दों और पहलुओं को ऊपर उठाना ।

9.13.2 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू):

पीएमजीडीआईएसएचए योजना के क्रियान्वयन के लिए सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (सीएससी–एसपीवी) के अंतर्गत एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित किया जाएगा । योजना के क्रियान्वयन, प्रबंधन और निगरानी करने के लिए पीएमयू मेटि को आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा । सीएससी–एसपीवी : पीएमयू निम्नलिखित प्रमुख कार्य / गतिविधियां :

1. संपूर्ण योजना का पूरा समन्वय, क्रियान्वयन और प्रबंधन ।
2. कई हितधारकों सहित अन्य हितधारकों के साथ समन्वय जैसे उद्योग, एनजीओ, इत्यादि जो इसी प्रकार के पहलों जैसे पीएमजीडीआईएसएचए में शामिल होना ।
3. विभिन्न हितधारकों/विशेषज्ञों के साथ परामर्श में पाठ्यक्रम ढांचा / कोर्सवेयर – बहुभाषी सामग्रियां विकसित करना ।
4. प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए दिशानिर्देश एवं मानदण्ड प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना, लैब, फैकल्टी/प्रशिक्षक इत्यादि परामर्श के साथ मान्यता प्राप्त एजेंसीज़ जैसे एनआईईएलआईटी, इग्नू, एनआईओएस, इत्यादि तैयार करना । केन्द्र पर समय–समय पर

निगरानी और प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मूल्यांकन, फैकल्टी, आधारभूत संरचना के लिए भी मानदण्ड तैयार करना ।

5. लाभार्थी चयन, उम्मीदवारों का पंजीकरण, और प्रशिक्षण की निगरानी के लिए मानदण्डों का विकास करना ।
6. प्रमाणित एजेंसियों के साथ परामर्श में परीक्षा और प्रमाणन मानदण्छ तैयार करना ।
7. मोबाइल फोन के माध्यम से ई–सामग्री की सुपुर्दगी ।
8. इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए कार्यशालाओं/सेमीनारों और अन्य जागरूकता अभियान का संचालन करना ।
9. दोहरे लेखांकन से बचने औार उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आधार पहचान के आधार पर उपयुक्त निगरानी तंत्र बनाएं ।
10. मीटि और राज्य सरकार/जिला प्रशासन को योजना की निगरानी के लिए समय–समय पर जानकारी प्रदान करें ।
11. सुनिश्चित करें कि सभी सुपुर्दगियां आवंटित समय सीमा और बजट के भीतर पूरी हो जाएं। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किसी भी विचलन को मेटि को प्रस्तुत करना चाहिए ।
12. आधार लिंक्ड पंजीकरण और लाभार्थियों की परीक्षा के लिए उचित तंत्र बाहर लाएं ।
13. मीटि के अनुमोदन के साथ तीसरे पक्ष के माध्यम से योजना के प्रभाव आंकलन अध्ययन (यनों)।
14. वरीयतः ओपन सोर्स टेक्नॉलाजी का उपयोग करके केन्द्रीय स्रोत पोर्टल विकसित करना । पोर्टल में एक सामग्री प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित के साथ शामिल हागी 1) प्रशिक्षण भागीदार / केन्द्र के रूप में पैनल के लिए दस्तावेजों के आनलाइन प्रवेश, 2) डैशबोर्ड एक्सेस, 3) उम्मीदवारों का पंजीयन/अपडेशन, 4) सामग्रियों को केन्द्रीय भण्डार, 5) आधार के माध्यम से डिजिटल साक्षरता का आंकलन और प्रमाणन सक्षम दूरस्थ निरीक्षक परीक्षा, 6) ड्रिल डाउन डेटा एक्सेस, 7) रिपोटिंग ।
15. 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री बनाने के लिए मोबाइल ऐप विकसित करना ।
16. निम्नखित प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी :

- पीएमजीडीआईएसएचए के अंतर्गत उम्मीदवारों का पंजीयन और प्रशिक्षण ।
- पीएमजीडीआईएसएचए के अंतर्गत प्रशिक्षण भागीदा / केन्द्र का मनोनयन/अमनोनयन।
- पीएमजीडीआईएसएचए में परीक्षा ।
- पीएमजीडीआईएसएचए भुगतान प्रक्रिया ।

17. क्रियान्वयन की समय–समय पर समीक्षा सीएससी–एसपीवी बोर्ड द्वारा सचिव, मेटि की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी ।

9.13.3 राज्य / सरकारी उपक्रमः

1) क्रियान्वयन के लिए रणनीतियों की योजना के लिए प्रधान सचिव (आईटी) की अध्यक्षता वाली **राज्य स्तरीय समिति** । समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें परिशिष्ट –2 के पैरा–1 में हैं ।

2) राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एसआईए): इस योजना में राज्य /सरकारी उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने के लिए उनकी निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसियों के जरिए क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है । राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की उनकी निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी माध्यक से यह भूमिका होगी :

1. एसआईए राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश की ओर से सीएससी–एसपीवी के साथ योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करेगा ।
2. सीएससी–एसपीवी को राज्यों /संघ शासित प्रदेशों के साथ उपलब्ध संसाधनों को साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ।
3. पात्र उम्मीदवारों की पहचान और चयन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से संपर्क, बातचीत करने और समन्वय करने के लिए ।
4. योजना की निगरानी के लिए विभिन्न राज्य /जिला/पंचायत स्तर पर समितियों के गठन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों / हितधारकों के साथ संपर्क करने, बातचीत और समन्वय करना ।
5. पंचायत में योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एजेंसियों (सीएससी–एसपीवी के साथ परामर्श में) के साथ चयन, संपर्क और समन्वय करना ।
6. निकटतम डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण केन्द्रों के उम्मीदवारों को जुटाने में सुविधा प्रदान करने के लिए ।

3) जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन की निरीक्षण/निगरानी । समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें परिशिष्ट –2 के पैरा–2 में हैं ।

9.13.4 प्रमाणित एजेंसियां जैसे एनआईईएलआईटी, एनआईओएस, एचकेसीएल, आईसीटीएसीटी, एनआईईएसबीयूडी, इत्यादि :

1. सीएसवी–एसपीवी के साथ परामर्श में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए डिजाइन, विकास, वितरण, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एक तंत्र, मानक मानदण्ड और दिशा–निर्देश तैयार करना।
2. डिजिटल साक्षरता के संबंध में लाभार्थी द्वारा प्राप्त योग्यता का आंकलन और प्रमाणित करने के लिए ।

9.13.5 सीएससी–एसपीवी योजना के क्रियान्वयन में प्रशिक्षण और सक्रिय भागीदारी के लिए अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए सरकारी/ निजी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी का पता लगाएगा ।

10.0 **डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम अवधि :**

10.1 व्यापक सामग्री की रूपरेखा :

मॉड्यूल का नाम
डिजिटल उपकरणों का परिचय
ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइस
इंटरनेट का परिचय
इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए संचार
इंटरनेट के आवेदन नागरिक–केन्द्रित सेवाएं शामिल करें; नकद रहित लेनदेन करने के लिए डिजिटल वित्तीय उपकरणों का उपयोग करें)
कुल अवधि : 20 घण्टे

10.2 **सीखने के परिणाम /योग्यता मानकः**

- डिजिटल उपकरणों की मूल बातें (शब्दावली, नेवीगेशन और कार्यक्षमता) को समझें ।
- जानकारी तक पहुंचने, रचना, प्रबंध और साझा करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करें ।
- एक प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से ब्राउज़ करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करें ।
- प्रभावी रूप से संवाद करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें ।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण (यूएसएसडी/ यूपीआई/ ई–वॉलेट/ एईपीएस/ कार्ड/ पीओएस) का उपयोग करते हुए कैशलेस लेनदेन को पूरा करना ।
- डिजिटल लॉकर का उपयोग करें ।
- ऑनलाइन नागरिक केन्द्रित सेवाओं का उपयोग करें ।
- रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सामाजिक जीवन में और काम पर डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका की सराहना करें ।

10.3 सामग्री पीढ़ी/ सम्मिलन / प्रबंधन / एकत्रीकरण – सामग्री बैंक का निर्माण इत्यादि सीएससी–एसपीवी द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श में किया जाएगा :

1. डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के उद्देय के लिए विकसित की गई सामग्री अंग्रेजी के अलावा भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी । एक मोबाइल ऐप '22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि प्रशिक्षण सामग्री को डाउलोड किया जा सके और जहां और जब जरूरत हो पुनः उपयोग किया जा सके ।
2. ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, ऑडियो/विजुअल/टच आदि आधारित सामग्री विकसित की जाएगी । जो लोग पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, पाठ, संरचित, ऑडिया, वीडियो और एप्लिकेशन आधारित सामग्री उपलब्ध कराएंगे । स्थानीय /स्थानीयकृत संसाधनों के उपयोग के साथ लक्षित लाभार्थी विशिष्ट सामग्री बनाने के प्रयास केए जाएंगे ।
3. शीर्ष नागरिक केंद्रित योजनाओं को जैसा नीचे दिया गया है, पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शामिल किया गया हैः
    - जी–2 सेवाएं –जाति प्रमाण–पत्र, निवासी प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र ।
    - यूआईडीएआई सेवाएं
    - आईआरसीटीसी – रेलवे आरक्षण
    - बीमा
    - टेलीफोन /डाटा कार्ड रिचार्ज
    - चुनाव आईडी मुद्रण
    - बिजली –बिल भुगतान
    - पैन कार्ड
    - पासपोर्ट
4. चूंकि सरकार को जोर मोबाइल फोन के माध्यम से नकद रहित लेन–देन का बढ़ावा देना है, पाठ्यक्रम सामग्री में डिजिटल पर्स, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेंमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी), और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), पीओएस आदि पर भी जोर होगा ।
5. हितग्राहियों और सामग्री वृद्धि के लिए प्रशिक्षकों से उचित प्रतिक्रिया हितग्राहियों की आवश्यताओं के अनुसार सामग्री को संशोधित करने के लिए लिया जाएगा ।
6. विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए, इंटरनेट ब्राउज़र खोलने, सूचना ब्राउज़ करने, जानकारी खोजने, ऑडियो और वीडियो सुनने और देखने आदि के लिए डिजिटल एक्सेस डिवाइस (कंप्यूटर, टैबलेट, आदि) के इस्तेमाल / संचालन पर जोर दिया जाएगा ।
7. इस क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकसित अन्य डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण देने के लिए भी विचार किया जा सकता है ।

8. सीएसवी–एसपीवी द्वारा एक तकनीकी समिति की स्थापना, एनआईईएलआईटी, इग्नू, एनआईओएस, यूनेस्को, डीईएफ, आईटी फॉर चेंज, आईआईएमसी, इंटेल, एनएएसएससीओएम, एनआईआईटी, पीएमजीडीआईएसएचए भागीदारों आदि से ली गई सदस्यों साथ–साथ सभी सामग्रियों की पुष्टि होगी। सीएसवी–एसपीवी द्वारा विशेष रूप ग्रामीण जनता के लिए प्रासंगिक सामग्री का एक बहुभाषी केंद्रीकृत पूल बनाया जाएगा ।

11.0 वित्तीय सहायता :

11.1 प्रशिक्षण शुल्क : ` 300/–प्रति उम्मीदवार सीएससी–एसपीवी के माध्यम से उनके द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों के सफल प्रमाणीकरण पर सीधे संबंधित प्रशिक्षण भागीदारों / केन्द्रों को सीधे देय हैं ।

उपरोक्त एजेंसियों को भुगतान जारी करना डीईजीएस से एक फीडबैक /इनपुट के साथ प्राप्त परिणामों पर आकस्मिक होगा । इनमें ई–मेल एकाउंट बनाने, ई–मेल भेजने, डिजिटल लॉकर खोलने, ई–रेल टिकट बुकिंग, बिजली / पानी के बिल का ई–भुगतान, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, डिजिटल भुगतान करना या ई–केवाईसी को सक्षम करना शामिल हो सकता है । प्रशिक्षु द्वारा अनुपालन, जीसीसी सेवाएं जैसे कि पैनर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, एईपीएस / यूएसएसडी / यूपीआई / ई–वॉलेट इत्यादि का उपयोग करने के लिए उपयोग करना ।

11.2 परीक्षा शुल्क/प्रमाणन लागत : ` 70/–प्रति उम्मीदवार परीक्षा शुल्क है । उम्मीदवारों के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए विधिवत् पंजीकृत प्रमाणित एजेंसियों को यह शुल्क प्रत्यक्ष रूप से देय होगा ।

11.3 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय सहायता : राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां, ओवरहेड की लागत को पूरा करने और योजना की निगरानी हेतु सीएससी–एसपीवी द्वारा ` 2/–प्रति उम्मीदवार वित्तीय सहायता के पात्र होंगे ।

12. प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनः प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (नों) एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा । अध्ययन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उपयुक्त संस्थानों / संगठनों को काम पर लगाएगा ।

13. **इस योजना के सामाजिक लेखा परीक्षा**, सीएससी–एसपीवी द्वारा स्कूल के प्रचार्य, संबंधित राज्यों/ जिले / उप–जिला (ब्लॉक) / ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे । सीएसवी–एसपीवी योजना के सामाजिक और परिणाम के मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के साथ गठजोड़ का पता लगाएगा ।

14. इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी 6 करोड़ हितग्राहियों का विवरण मेसर्स कौशल विकास और उद्यमिता, राज्य कौशल विकास मिशन, सेक्टर कौशल परिषदों के साथ उचित अभिसरण के लिए और अन्य कौशल विकास योजाओं के साथ अग्रेषण संबंधों को मजबूत करने के लिए देश में स्किलिंग /रोजगार इको सिस्टम को साझा किया जाएगा ।

परिशिष्ट –I

डिजिटल साक्षरता के लिए संकेतक राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश वार लक्ष्य

स.क्र.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य
1	उत्तर प्रदेश	11171000
2	बिहार	6630000
3	प. बंगाल	4481000
4	महाराष्ट्र	4433000
5	मध्यप्रदेश	3784000
6	राजस्थान	3712000
7	कर्नाटक	2705000
8	तमिलनाडु	2679000
9	ओडीशा	2517000
10	गुजरात	2497000
11	आंध्रप्रदेश	2028000
12	तेलंगाना	2028000
13	असम	1929000
14	झारखण्ड	1803000
15	छत्तीसगढ़	1412000
16	केरल	1257000
17	पंजाब	1247000
18	हरियाणा	1191000
19	जम्मू और कश्मीर	658000
20	उत्तराखण्ड	506000
21	हिमाचल प्रदेश	444000
22	त्रिपुरा	195000

23	मेघालय	171000
24	मणिपुर	137000
25	नागालैण्ड	101000
26	अरूणाचल प्रदेश	77000
27	गोवा	40000
28	मिजोरम	38000
29	सिक्किम	33000
30	दिल्ली का एनसीटी	30000
31	पुडुचेरी	28000
32	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	18000
33	दादरा और नगर हवेली	13000
34	दमन और दीव	4000
35	चण्डीगढ़	2000
36	लक्ष्यद्वीप	1000
	कुल	**60000000**

नोटः प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का लक्ष्य बदल सकता है ।

ष्शहरी समुदायों के अंतर्गत कवर शहर योजना से हटाए जाएंगे (सूची संलग्न)

स.क्र.	राज्य का नाम	शहर का नाम	शहरी जनसंख्या (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार)
1	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (नगर निगम)	1,24,78,447
2	दिल्ली की एनसीटी	डीएमसी(यू)(नगर निगम)	1,10,07,835
3	कर्नाटक	ब्रूहट बेंगलुरू महानगरपालिके (बीबीएमपी) (नगर निगम)	84,25,970
4	आंध्र प्रदेश	ग्रेटर हैदराबाद (नगर निगम)	68,09,970
5	गुजरात	अहमदाबाद (नगर निगम)	55,70,585
6	तमिलनाडु	चेन्नई (नगर निगम)	46,81,087
7	प. बंगाल	कोलकाता (नगर निगम)	44,86,679
8	गुजरात	सूरत (नगर निगम)	44,62,002
9	महाराष्ट्र	पुणे (नगर निगम)	31,15,431

10	राजस्थान	जयपुर (नगर निगम)	30,73,350
11	उत्तरप्रदेश	लखनऊ (नगर निगम)	28,15,601
12	उत्तरप्रदेश	कानपुर (नगर निगम)	27,67,031
13	महाराष्ट्र	नागपुर (नगर निगम)	24,05,421
14	मध्यप्रदेश	इंदौर (नगर निगम)	19,60,631
15	महाराष्ट्र	थाणे (नगर निगम)	18,18,872
16	मध्यप्रदेश	भोपाल (नगर निगम)	17,95,648
17	आंध्र प्रदेश	ग्रेटर विशाखापट्टनम (नगर निगम)	17,30,320
18	महाराष्ट्र	पिम्प्री–चिंचवाड़ (नगर निगम)	17,29,359
19	बिहार	पटना (नगर निगम)	16,83,200
20	गुजरात	वडोदरा (नगर निगम)	16,66,703
21	पंजाब	लुधियाना (नगर निगम)	16,13,878
22	उत्तरप्रदेश	आगरा (नगर निगम)	15,74,542
23	महाराष्ट्र	नासिक(नगर निगम)	14,86,973
24	हरियाणा	फरीदाबाद(नगर निगम)	14,04,653
25	उत्तरप्रदेश	मेरठ(नगर निगम)	13,09,023
26	गुजरात	राजकोट(नगर निगम)	12,86,995
27	महाराष्ट्र	कल्याण–दोम्बिवली (नगर निगम)	12,46,381
28	महाराष्ट्र	वसाई विरार सिटी (नगर निगम)	12,21,233
29	उत्तरप्रदेश	वाराणसी (नगर निगम)	12,01,815
30	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर (नगर निगम)	11,92,792
31	महाराष्ट्र	औरंगाबाद (नगर निगम)	11,71,330
32	झारखण्ड	धनबाद (नगर निगम)	11,61,561
33	पंजाब	अमृतसर (नगर निगम)	11,32,761
34	महाराष्ट्र	नवी मुंबई (नगर निगम)	11,19,477
35	उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद (नगर निगम)	11,17,094
36	झारखण्ड	राँची (नगर निगम)	10,73,440
37	प. बंगाल	हावड़ा (नगर निगम)	10,72,161
38	तमिलनाडु	कोयम्बटूर (नगर निगम)	10,61,447
39	मध्यप्रदेश	जबलपुर (नगर निगम)	10,54,336

40	मध्यप्रदेश	ग्वालियर (नगर निगम)	10,53,505
41	आंध्रप्रदेश	विजयवाड़ा (नगर निगम)	10,48,240
42	राजस्थान	जोधपुर (नगर निगम)	10,33,918
43	तमिलनाडु	मदुरई (नगर निगम)	10,16,885
44	छत्तीसगढ़	रायपुर (नगर निगम)	10,10,087
45	राजस्थान	कोटा (नगर निगम)	10,01,365
46	असम	गुवाहाटी (नगर निगम)	9,63,429
47	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ (नगर निगम)	9,60,787
48	महाराष्ट्र	सोलापुर (नगर निगम)	9,51,118
49	कर्नाटक	हुबली–धरवड़ *(नगर निगम)	9,43,857
50	उत्तरप्रदेश	बरेली (नगर निगम)	8,98,167

परिशिष्ट –II

पीएमजीडीआईएसएचए योजना के अंतर्गत राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा समितियों का गठन किया जाना है

I. राज्य स्तरीय समिति – [राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के माननीय मुख्य सचिव द्वारा गठन किया जाएगा ।]

<u>संरचना</u>

अध्यक्ष – प्रमुख सचिव (आई टी)

सदस्यः

1. बेसिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
2. पंचायती राज के प्रतिनिधि
3. समाज कल्याण के प्रतिनिधि
4. महिला एवं बाल विकास के प्रतिनिधि
5. राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एसआईए) के प्रतिनिधि
6. राज्य सूचना अधिकारी – एसआईओ, एनआईसी
7. सीएससी–एसपीवी के प्रतिनिधि
8. विशेष सचिव (आईटी) / संयुक्त सचिव (आईटी) – सदस्य सचिव

- अध्यक्ष की अनुमति के साथ समिति, विशेष निमंत्री(यों) के रूप में इसकी किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए, उचित रूप में समझे जाने वाले अन्य व्यक्ति(यों) को सह–चयन या आमंत्रित कर सकती है ।

<u>सदर्भ की शर्तें</u>

- समिति के संदर्भ की शर्तों निम्नानुसार होंगी :
  - राज्य में पीएमजीडीआईएसएचए योजना की नियमित रूप से निगरानी और संचालन को लागू करना ।
  - राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन में शामिल प्रशिक्षण केन्द्रों / भागीदारों द्वारा उठाए गए मुद्दों / सामाना की गई समस्याओं पर फॉलोअप कार्यवाही की सिफारिश करें ।
  - राज्य में परियोजना के क्रियान्वयन के साथ जुड़े अन्य कोई भी मुद्दे ।
- समिति कम से कम दो महीने में एक बार मिलना चाहिए ।

II. जिला स्तरीय समिति – [राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा गठन किया जाना है]

<u>संरचना</u>

अध्यक्ष – जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर

सदस्यः

1. बेसिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
2. महिला एवं बाल विकास के प्रतिनिधि
3. राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एसआईए) के प्रतिनिधि
4. जिला ई–गवर्नेंस समिति के प्रतिनिधि
5. जिला सूचना अधिकारी – (डीआईओ)–एनआईसी
6. खण्ड विकास अधिकारी
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी – ज़िल्ला/ जिला पंचायत
8. जिला समन्वयक, सीएससी–एसपीवी – सदस्य सचिव

- अध्यक्ष की अनुमति के साथ समिति, विशेष निमंत्री(यों) के रूप में इसकी किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए, उचित रूप में समझे जाने वाले अन्य व्यक्ति(यों) को सह–चयन या आमंत्रित कर सकती है ।

सदर्भ की शर्तें

- समिति के संदर्भ की शर्तों निम्नानुसार होंगी :
  - जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निरीक्षण/निगरानी करने के लिए ।
  - राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन में शामिल प्रशिक्षण केन्द्रों / भागीदारों द्वारा उठाए गए मुद्दों / सामाना की गई समस्याओं पर फॉलोअप कार्यवाही की सिफारिश करें ।
  - जिला / ब्लॉक में परियोजना के क्रियान्वयन के साथ जुड़े अन्य कोई भी मुद्दे ।
- समिति कम से कम महीने में एक बार मिलना चाहिए ।